

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प सातडा

दिनांक : 16-11-2021

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 183/2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....लक्ष्मणराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....अर्जुनराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....सातडा.....पटवार मण्डल.....सातडा.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-74.....के खाता संख्या.....238.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....लक्ष्मण पुत्र अर्जुन.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....लक्ष्मणराम पुत्र अर्जुनराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....सातडा.....से करवाने पर पटवारी ने.....लक्ष्मण पुत्र अर्जुन.....के
बजाय.....लक्ष्मणराम पुत्र अर्जुनराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....लक्ष्मण पुत्र अर्जुन.....के
के बजाय.....लक्ष्मणराम पुत्र अर्जुनराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....सातडा.....
के खाता संख्या.....238.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....लक्ष्मण पुत्र अर्जुन.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....लक्ष्मणराम पुत्र अर्जुनराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



16/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

सातडा 1884
17-11-2021

